फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 20)　　[4 अगस्त, 2017]

फुटवियर और चमड़ा उत्पाद डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कृष्टता के संवर्धन और विकास हेतु फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान की, राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप में स्थापना और घोषणा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

2. फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के रूप में ज्ञात संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं। इसलिए यह घोषणा की जाती है कि फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा।

परिभाषाएं। 3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अध्यक्ष'' से धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) ''डिजाइन'' से फुटवियर और चमड़ा उत्पादों में, व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं को संस्कृति अंतरित करने के, जिसके अंतर्गत उनका फैशन और फुटकर भी है, प्रयोजनों के लिए तथा उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक उत्तमता, प्रदान करने के लिए युक्तिसंगत, तर्कसम्मत तथा आनुक्रमिक नवपरिवर्तन प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ग) ''विकास'' से विनिर्दिष्ट उद्देश्य या अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अवधारणा, डिजाइन, खोज और आविष्कार का उसके कारबार सहित सैद्धांतिक या व्यावहारिक पहलुओं का विस्तार भी है;

(घ) ''कार्यकारी निदेशक'' से धारा 18 के अधीन नियुक्त संस्थान कैंपस का कार्यकारी निदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) ''निधि'' से धारा 21 के अधीन बनाए रखी जाने वाली संस्थान की निधि अभिप्रेत है;

(च) ''शासी परिषद्'' से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन गठित संस्थान की शासी परिषद् अभिप्रेत है;

(छ) ''संस्थान'' से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अभिप्रेत है;

(ज) ''संस्थान कैंपस'' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थान कैंपस अभिप्रेत है;

(झ) ''चमड़ा उत्पाद'' के अंतर्गत चमड़े या किसी अन्य सामग्री या उनके संयोजन से बनाया गया उत्पाद आता है;

(ञ) ''प्रबंध निदेशक'' से धारा 16 के अधीन नियुक्त किया गया संस्थान का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है;

(ट) ''सदस्य'' से शासी परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(ठ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न सूची अभिप्रेत है;

(ण) ''सचिव'' से धारा 17 के अधीन नियुक्त किया गया संस्थान का सचिव अभिप्रेत है;

(त) ''सिनेट'' से धारा 13 में निर्दिष्ट संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है;

(थ) ''सोसाइटी'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फुटवियर 1860 का 21
डिजाइन और विकास संस्थान अभिप्रेत है;

(द) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के क्रमशः परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थान की स्थापना। 4. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान की स्थापना पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय के रूप में की जाएगी।

(2) संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) संस्थान में निम्नलिखित सदस्यों वाला एक शासी निकाय होगा, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जो चमड़ा सेक्टर से कोई विख्यात शिक्षाविद्, वैज्ञानिक या उद्योगपति होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) प्रबंध निदेशक—पदेन;

(ग) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव—पदेन;

(घ) चमड़ा, खुदरा या फैशन सेक्टर से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव—पदेन;

(ङ) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान में संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग में वित्त निदेशक—पदेन;

(च) कौशल विकास और उद्यमिता से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधि—पदेन;

(छ) दि काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्टस, दि इंडियन लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन, दि इंडियन फुटवियर कंपोनेंट्स मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन और दि कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री नेशनल कमेटी आन लेदर, फुटवियर एंड लेदर प्रोडक्ट्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार वृत्तिक या उद्योगपति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं;

(ज) दि नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, दि सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दि इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी और दि इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में प्रत्येक से एक व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं।

(4) उसके अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और वे ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(5) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उस सदस्य की शेष अवधि तक चालू रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(6) शासी परिषद्, ऐसे स्थान और समय पर एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो शासी परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएं।

(7) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक चालू रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी संपत्तियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले सोसाइटी में निहित थी, ऐसे प्रारंभ से ही संस्थान में निहित हो जाएंगी। संपत्तियों का निहित होना।

6. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,— संस्थान के निगमन का प्रभाव।

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी के प्रति किसी निर्देश को संस्थान के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा;

(ख) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(ग) नियत दिन से ठीक पहले सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति संस्थान में उसी अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों की बाबत उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पद धारण या सेवा करेगा, जो वह करता यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया जाता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक, निबंधन और शर्तें, परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिए जाते:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है, तो संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो संस्थान द्वारा उसे स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिदाय का संदाय करके, उसका नियोजन समाप्त किया जा सकेगा;

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले विद्यमान संस्थान कैंपस में किसी भी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा प्रत्येक व्यक्ति उस संस्थान कैंपस से, जिससे ऐसा व्यक्ति प्रव्रजित हुआ है, ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी संस्थान कैंपस में अध्ययन के उसी स्तर पर प्रव्रजित और उसके साथ रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा; और

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित किए जा सकते थे, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रहेंगी या संस्थित हो सकेंगी।

संस्थान के कृत्य।

7. संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

(i) फुटवियर और चमड़ा उत्पाद डिजाइन और विकास तथा उसके सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान में क्वालिटी और उत्कृष्टता विकसित और उनका संवर्धन करना;

(ii) फुटवियर और चमड़ा उत्पाद डिजाइन और विकास तथा उसके सहबद्ध क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रियों, डाक्ट्रेट और पोस्ट डाक्ट्रेट पाठ्यक्रमों और अनुसंधान को विकसित और संचालित करना;

(iii) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई अन्य अर्हता प्रदान करना;

(iv) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां संस्थित करना और पुरस्कार, सम्मानिक डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां या पदक प्रदान करना;

(v) विश्व के किसी भी भाग में संस्थान के पूर्णत: या भागत: समान उद्देश्यों वाली शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं, अनुसंधान संगठनों या निगमित निकायों के साथ साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके सामान्य उद्देश्य में सहायक हों, संकाय सदस्यों, छात्रों, कर्मचारिवृंद और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा सहकार, सहबद्ध होना और सहयोग करना;

(vi) फुटवियर और चमड़ा उत्पाद डिजाइन और विकास तथा उसके सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षकों, प्रौद्योगिकीविदों और अन्य वृत्तिकों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करना;

(vii) उन्नत क्वालिटी और डिजाइन, परीक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय विपणन के लिए अनुसंधान, सर्वेक्षण और अध्ययन करना तथा उनका उपयोजन करना;

(viii) विश्व के किसी भी भाग में संस्थाओं और उद्योगों के लिए परामर्श, परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणीकरण, परियोजना कार्यान्वयन और डिजाइन समर्थन उपलब्ध कराना;

(ix) शैक्षणिक, वृत्तिक और औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सूचना के सृजन और प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय केन्द्र विकसित करना;

(x) कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करना तथा कारीगरों, शिल्पकारों, विनिर्माताओं, डिजाइनरों और निर्यातकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना;

(xi) सेक्टर की अपेक्षा और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के अनुसार शैक्षणिक कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सामग्रियों की पाठ्यचर्या को तैयार, विकसित, संशोधित और अद्यतन करना;

(xii) या तो साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे आविष्कार, समुन्नति या डिजाइन या मानकीकरण चिन्हों से संबंधित कोई पेटेंट या अनुज्ञप्ति अर्जित करना;

(xiii) संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा साहित्य और फिल्मों स्लाइडों, फोटोग्राफों, आदि प्ररूपों तथा अन्य सूचना के संग्रहण को स्थापित करना, बनाना और उनका अनुरक्षण करना;

(xiv) पाठ्यचर्या विकास, प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा चमड़ा सेक्टर के सकल कौशल विकास में सहायता करना;

(xv) परिनियमों और अध्यादेशों को विरचित करना, उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना; और

(xvi) ऐसी सभी बातें करना, जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

शासी परिषद् की शक्तियां।

8. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, शासी परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्णत: नियंत्रण के अधीन संस्थान के कार्यों पर साधारण पर्यवेक्षण, निदेश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी तथा इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी परिषद् —

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करेगी;

(ख) शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करेगी और उन पर नियुक्तियां करेगी (प्रबंध निदेशक, सचिव और कार्यकारी निदेशक के मामले के सिवाय);

(ग) परिनियम और अध्यादेश विरचित करेगी और उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करेगी;

(घ) अपनी विकास योजनाओं के विवरण को प्रस्तुत करने के साथ वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं और अगले वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान के बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगी और ऐसे संकल्प पारित करेगी, जो वह उचित समझे;

(ङ) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करेगी और, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयतें, संदान या अंतरण प्राप्त करेगी; और

(च) ऐसी सभी बातें करेगी, जो पूर्वोक्त सभी या किन्हीं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(3) शासी परिषद् को, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो वह आवश्यक समझे।

(4) धारा 4 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, शासी परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति में व्ययन नहीं करेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए तथा उसके कार्यों की जांच करने के लिए और उस पर ऐसी रीति में, जिसका केन्द्रीय सरकार निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी।

(6) ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट से संबंधित किसी मामले की बाबत ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(7) केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को हटाने की या शासी परिषद् के पुनर्गठन की शक्ति होगी, यदि वह ऐसा करना समुचित समझती है।

(8) उपधारा (7) के अधीन किसी अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना।

9. (1) संस्थान सभी लिंग के व्यक्तियों के लिए और किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के लिए खुला होगा और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों या किसी अन्य संबंध में, जो भी हो, प्रवेश देने या नियुक्ति करने में धार्मिक विश्वास या वृत्ति के बारे में कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं किए जाएंगे।

(2) संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की कोई वसीयत, दान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें शासी परिषद् की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्यों के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित हों।

संस्थान में शिक्षण।

10. संस्थान के कैंपसों में समस्त शिक्षण, संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार दिया जाएगा।

कुलाध्यक्ष।

11. भारत का राष्ट्रपति संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा।

संस्थान के प्राधिकरण।

12. निम्नलिखित, संस्थान के प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(क) शासी परिषद्;

(ख) सिनेट; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण घोषित किया जाएं।

सिनेट।

13. संस्थान के सिनेट में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रबंध निदेशक, पदेन, जो सिनेट का अध्यक्ष होगा;

(ख) सचिव, पदेन;

(ग) सभी संस्थान कैंपसों के कार्यकारी निदेशक, पदेन;

(घ) संस्थान के सभी ज्येष्ठ आचार्य;

(ङ) तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं हों, जो फुटवियर, विज्ञान, इंजीनियरी और मानविकी के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से प्रबंध निदेशक के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और उनमें से एक महिला होगी;

(च) संस्थान का एक पूर्व छात्र, जो प्रबंध निदेशक के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) कर्मचारिवृंद के ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं।

सिनेट के कृत्य।

14. (1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान का सिनेट संस्थान का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और वह संस्थान का नियंत्रण और विनियमन करेगा तथा संस्थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षाओं के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सिनेट को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) संस्थान द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों के सृजन के लिए शासी परिषद् को सिफारिश करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों के अवधारण तथा शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक पदों के कर्तव्यों और शर्तों को परिनिश्चित करना;

(ग) अध्ययन के लिए कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए शासी परिषद् को सिफारिश करना;

(घ) अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक अंतर्वस्तुओं को विनिर्दिष्ट करना तथा उसमें उपांतरण करना;

(ङ) शैक्षणिक कैलेंडर विनिर्दिष्ट करना तथा डिग्रियों, डिप्लोमाओं, अन्य विद्या संबंधी उपाधियों या पदकों के प्रदान किए जाने का अनुमोदन करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे परिनियमों द्वारा या शासी परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

अध्यक्ष के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य।

15. (1) अध्यक्ष, सामान्यतया शासी परिषद् के, अधिवेशनों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों का पीठासीन होगा।

(2) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(3) अध्यक्ष को संस्थान के कार्य और प्रगति का कालिकतः पुनर्विलोकन करने का और संस्थान के कार्यों की जांच करने का आदेश करने का प्राधिकार होगा।

प्रबंध निदेशक।

16. (1) प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित किए जाएं, नियुक्त किया जाएगा।

(2) प्रबंध निदेशक, संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा तथा संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए और उसमें शिक्षण देने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रबंध निदेशक, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं या शासी परिषद् अथवा सिनेट द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(4) प्रबंध निदेशक, शासी परिषद् को वार्षिक रिपोर्टें और लेखे प्रस्तुत करेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार को, मामले में प्रबंध निदेशक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पांच वर्ष की अवधि से पहले उसे हटाने की शक्ति होगी, यदि वह कदाचार या असमर्थता के आधारों पर ऐसा करना समुचित समझे।

(6) प्रबंध निदेशक, शासी परिषद् और सिनेट के विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

सचिव।

17. (1) संस्थान का सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित किए जाएं, नियुक्त किया जाएगा।

(2) सचिव, शासी परिषद्, सिनेट और ऐसी अन्य समितियों के, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) सचिव, अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए प्रबंध निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों या प्रबंध निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

कार्यकारी निदेशक।

18. (1) प्रत्येक संस्थान कैंपस का कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित किए जाएं, नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों या प्रबंध निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(2) कार्यकारी निदेशक, संस्थान कैंपस का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा शासी परिषद् और सिनेट के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए और प्रबंध निदेशक के परामर्श से संस्थान कैंपस के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

19. इसमें इसके पूर्व उल्लिखित से भिन्न प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

20. संस्थान को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धन की ऐसी राशियों का और ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, संदाय करेगी।

संस्थान की निधियां।

21. (1) संस्थान एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे —

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी धन;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार;

(ग) संस्थान द्वारा ऋणों, अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त सभी धन; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(2) निधि में जमा किए गए समस्त धन को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जो संस्थान शासी परिषद् के अनुमोदन से विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों की पूर्ति के मद्दे किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग तथा इसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं।

विन्यास निधि की स्थापना।

22. धारा 21 में किसी बात के होते हुए भी , केन्द्रीय सरकार संस्थान को —

(क) विन्यास निधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अन्य निधि की स्थापना का; और

(ख) अपनी निधि से विन्यास निधि में या किसी अन्य निधि में धन के अंतरण का,

निदेश दे सकेगी।

लेखा और संपरीक्षा।

23. (1) संस्थान, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में, जो ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएं, विहित किए जाएं, तैयार करेगा।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं तथा उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और संस्थान के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

पेंशन और भविष्य निधि।

24. (1) संस्थान, अपने कर्मचारियों के, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधियां गठित करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(2) जहां पर ऐसी किसी भविष्य निधि का गठन किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर
1925 का 19 सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे, मानो यह सरकारी भविष्य निधि थी।

25. प्रबंध निदेशक, सचिव और कार्यकारी निदेशक के सिवाय संस्थान के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां, परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार — नियुक्ति।

(क) शासी परिषद् द्वारा की जाएंगी, यदि नियुक्ति सहायक आचार्य या ऊपर के पद के लिए शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए की जाती है या नियुक्ति किसी ऐसे काडर में, जिसके लिए अधिकतम वेतनमान सहायक आचार्य के समान है या उसके ऊपर है, गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए की जाती है; और

(ख) किसी अन्य मामले में प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्— परिनियम।

(क) शिक्षण विभागों, अनुसंधान केन्द्र का बनाया जाना, कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं, स्टूडियों की स्थापना;

(ख) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थन;

(ग) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, पदावधि, अर्हता, नियुक्ति की पद्धति और सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों का इस प्रकार आरक्षण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;

(च) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्त्तव्य;

(छ) शासी परिषद् के सदस्यों में रिक्तियों को भरने की रीति;

(ज) शासी परिषद् के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन;

(झ) शासी परिषद्, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कारबार के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ञ) मानद डिग्री का प्रदान किया जाना;

(ट) छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण;

(ठ) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें तथा छात्र निवासों और छात्रावासों में निवास के लिए फीसों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण; और

(ड) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अनुसार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।

27. (1) संस्थान के प्रथम परिनियम, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से शासी परिषद् द्वारा विरचित किए जाएंगे और यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे। परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

(2) शासी परिषद्, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उनको संशोधित या निरसित कर सकेगी।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम के किसी भी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे विचारार्थ शासी परिषद् को भेज सकेगा।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले किसी परिनियम की तब तक वैधता नहीं होगी जब तक उसे कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाए।

अध्यादेश।

28. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण;

(ग) संस्थान की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(घ) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना;

(ङ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की शर्तें;

(च) परीक्षा निकाय, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) संस्थान के छात्रों में अनुशासन को बनाए रखना;

(झ) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों और संस्थान की डिग्रियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाणपत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस; और

(ञ) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जाए।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

29. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश दे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र शासी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और शासी परिषद् द्वारा उस पर अपने अगले उत्तरवर्ती, अधिवेशन में विचार किया जाएगा।

(3) शासी परिषद् को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, ऐसे संकल्प की तारीख से तद्नुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा।

माध्यस्थम् अधिकरण।

30. (1) संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई भी विवाद, संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर माध्यस्थम्, अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी ऐसे मामले की बाबत, जिसका उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में माध्यस्थम् से संबंधित कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

रिक्तियों द्वारा कार्य और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

31. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन स्थापित संस्थान या शासी परिषद् या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि —

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो।

प्रायोजित स्कीमें।

32. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी संस्थान किसी सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसके अंतर्गत संस्थान में निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली अनुसंधान स्कीम या परामर्श संबंधी समनुदेशन या शिक्षण कार्यक्रम या पीठ आचार्य पद या छात्रवृत्ति, इत्यादि को प्रायोजित करने वाला उद्योग भी है, निधियां प्राप्त करता है, तो —

(क) संस्थान द्वारा प्राप्त की गई रकम को संस्थान की निधि से पृथक् रखा जाएगा और उसका उपयोग उस स्कीम के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा; और

(ख) उसे निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद की भर्ती प्रायोजित संगठनों द्वारा अनुबद्ध निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाएगी:

परंतु अनुपयोजित शेष किसी भी धन को इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन सृजित विन्यास निधि में अंतरित किया जाएगा।

संस्थान की डिग्री, इत्यादि प्रदान करने की शक्ति।

33. संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होगी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित या निगमित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदत्त तत्समान डिग्रियों और डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षणिक उपाधियों के समतुल्य होंगे।

संस्थान का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोक प्राधिकारी होना।

2005 का 22

34. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध संस्थान को इस प्रकार लागू होंगे, मानो यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित कोई लोक प्राधिकारी हो।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

35. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) प्रबंध निदेशक, सचिव और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 16 की उपधारा (1), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध निदेशक, सचिव और कार्यकारी निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ग) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान की लेखा बहियां रखी जाएंगी;

(घ) कोई अन्य विषय, जिसका विहित्त किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार को दी जाने वाली विवरणियां और सूचना।

36. संस्थान, केन्द्रीय सरकार को नीतियों और क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां और अन्य सूचना देगा, जिसकी केंन्द्रीय सरकार, संसद् को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए या नीति बनाने के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे।

संक्रमणकालीन उपबंध।

37. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार कार्यकरण कर रही सोसाइटी की शासी परिषद् तब तक इस प्रकार कार्य करती रहेगी, जब तक संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी नई शासी परिषद् का गठन नहीं कर दिया जाता, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई शासी परिषद् के गठन पर ऐसे गठन से पहले पद धारण करने वाले शासी परिषद् के सदस्य पद धारण नहीं करेंगे;

(ख) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले यथा प्रवृत्त सोसाइटी के नियम और विनियम, अनुदेश और मार्गदर्शक सिद्धांत, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, संस्थान को लागू होते रहेंगे; और

(ग) किसी ऐसे छात्र, जिसने शैक्षणिक वर्ष 2012-2013 में या उसके पश्चात् विद्यमान संस्थान की कक्षाओं में प्रवेश लिया था या जिसने शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 में या उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूरा किया था, के बारे में धारा 7 के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने विद्यमान संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया है, यदि ऐसे छात्र को उसी अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए पहले ही डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं कर दिया गया है।

परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

38. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, परिनियम या अध्यादेश में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसा परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् परिनियम या अध्यादेश, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि परिनियम या अध्यादेश के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस परिनियम या अध्यादेश के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम या अध्यादेश बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियम या अध्यादेश या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की न हो, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है, किन्तु किसी भी परिनियम या अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, यदि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जिसे ऐसे परिनियम या अध्यादेश लागू हों।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

39. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

[धारा 3 (ज) देखिए]

संस्थान के कैंपस

क्रःसं॰	राज्य का नाम	संस्थान के विद्यमान कैंपसों और इसके अवस्थानों का नाम और पता
(1)	(2)	(3)
1.	उत्तर प्रदेश	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ए-10/ए, सेक्टर-24, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड-201301
2.	तमिलनाडु	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, प्लाट नं॰: ई-1, एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रियल पार्क, इरुंनगट्टूकोटाइ, कांचीपुरम।
3.	पश्चिमी बंगाल	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कोलकाता लेदर काम्पलेक्स, मौजाकारियाडांगा, जे॰एल॰ नं॰-32 और गंगापुर, जे॰एल॰ नं॰ 35, कोलकाता।
4.	हरियाणा	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, प्लाट नं॰-1, सेक्टर-31बी, आईएमटी रोहतक।
5.	राजस्थान	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गांव मंदोर, तहसील जोधपुर, जिला-जोधपुर।
6.	उत्तर प्रदेश	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सुलतानपुर रोड, फुरसतगंज, रायबरेली, पिन कोड-229 302
7.	मध्य प्रदेश	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कोरनर प्लाट, खसरा नं॰ 31, नागपुर-बाटिल रोड, इमलीखेडा चौक, छिंदवाड़ा।
8.	मध्य प्रदेश	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ग्राम महाराजपुरा पंचायत, हरिपुर, फावा नं॰-42, ग्राम पुरापोसर रोड, गुना पर सर्वे नं॰ 571/158, 61/1/1/1
9.	बिहार	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, प्लाट नं॰ पी-6, मेघा इंडस्ट्रियल एरिया, मोजा दुमरी, आरा रोड, पटना।
10.	तेलंगाना	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एलआईडीसीएपी कैंपस, एचएस दुर्गा, गछीबावली, बीदर-हैदराबाद रोड, हैदराबाद।
11.	गुजरात	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, प्लाट नं॰ एच-3301, ईएसआईसी हास्पिटल के निकट, अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंकलेश्वर।

(1)	(2)	(3)
12.	पंजाब	फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिला एसएएस नगर (मोहाली), चंडीगढ़-पटियाला राजमार्ग, चंडीगढ़।